

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

[शिक्षा मंत्रालय: भारत सरकार]

क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर

केन्द्रीय विद्यालया क्रमांक-2, रायपुर कैम्पस

सेक्टर-8, दीनदयाल उपाध्याय नगर

रायपुर, छत्तीसगढ़-492010



Kendriya Vidyalaya Sangathan

[Ministry of Education, Govt. of India]

Regional Office, Raipur

Kendriya Vidyalaya, No.2, Raipur Campus

Sec-IV, Dindayal Upadhyay Nagar

Raipur, Chhattisgarh-492010

Website: <https://roraipur.kvs.gov.in/>, E-mail:- dckvsrorpr@gmail.com, ackvsroraipur@gmail.com,

Tel : - 0771-2262912 (DC) , 2262913 (AC)

फा.सं.32062/1/ के.वि.स. (क्षे.का.)/रायपुर/2022 -23

दिनांक: 29.07.2022

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, (मुख्यालय), नई दिल्ली आदेश सं. F. 11-55/2000-KVS(Vig)/ Pt. 1/1122-25 दिनांक 05.03.2019 के संदर्भ में और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार, महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर किसी भी शिकायत के निवारण के लिए क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर निम्नलिखित आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन दिनांक 01.08.2022 से किया जाता है।

क्रमांक	नामावली	नामित किया जाने वाले सदस्य	अधिकार क्षेत्र
1.	पीठासीन अधिकारी	डॉ वंदना शेखर, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर	क्षेत्रीय कार्यालय में अनुभूत स्तर (वित्त अधिकारी को छोड़कर), प्राचार्य, उप-प्राचार्य तथा मुख्याध्यापकों के विरुद्ध कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करना।
2.	गैर-सरकारी संगठन सदस्य	श्रीमती इन्दु साहू, अध्यक्ष, चेतना चाइल्ड एंड वूमन वेलफेयर सोसाइटी, बी-105, कृष्णा अपार्टमेंट एल. आई. सी. कॉलोनी, मोवा, रायपुर	
3.	सदस्य	श्रीमती प्रभा मिश्र, प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, क्रमांक - 02, रायपुर	
4.	सदस्य	श्री जे. प्रसाद, प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, डोंगरगढ़	

पीठासीन अधिकारी और उपरोक्त समिति के सदस्य इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन वर्षों से अधिक कार्य नहीं करेंगे समिति के पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित सुनिश्चित करेंगे :-

- I. जांच के संचालन के लिए तारीख और समय तय करने के लिए गैर सरकारी संगठन के सदस्य, अन्य सदस्यों और संबंधित उपायुक्त / विद्यालय के साथ समन्वय करें।
- II. एन. जी. ओ. के सदस्य के साथ समन्वय करें और यात्रा कार्यक्रम की योजना बनाएं और सुविधा प्रदान करें।
- III. जांच माननीय सुप्रीम कोर्ट के विश्वास और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य मामले के निर्माण दिनांक 13.08.1997 में निहित दिशा-निर्देशों और मेधा कोतवाल लेले और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2004 के आदेश अनुसार की जाएगी।
- IV. महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के मामले की जांच करते समय एक एन. जी. ओ. सदस्य होना अनिवार्य है।
- V. शिकायत प्राप्त होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर उसकी टिप्पणियों / सिफारिश तथा विशिष्ट निष्कर्षों और सहायक दस्तावेजों के साथ जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना है।

नोट:- इस कार्यालय आदेश के हिन्दी पाठ के अर्थ की विवेचना के दौरान यदि भ्रान्ति हो तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी पाठ को ही प्राधिकृत माना जाय।

यह इस कार्यालय आदेश संमसंख्यक दिनांक 18.06.2020 के निरंतर में जारी है।


(विनीद कुमार)
उपायुक्त

वितरण :-

1. समिति के पीठासीन अधिकारी -सूचनार्थ।
2. समिति के सदस्य/ गैर सरकारी संगठन के सदस्य -सूचनार्थ।
3. अपर आयुक्त (प्रशा.), केन्द्रीय विद्यालय संगठन, (मुख्यालय), नई दिल्ली -सूचनार्थ।
4. संयुक्त आयुक्त (प्रशा.), केन्द्रीय विद्यालय संगठन, (मुख्यालय), नई दिल्ली -सूचनार्थ।
5. उपायुक्त / निर्देशक, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय आंचलिक संस्थान - सूचनार्थ।
6. सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर -सूचनार्थ।
7. प्राचार्य, समस्त केन्द्रीय विद्यालय, रायपुर संभाग के अधीन- परिपत्र की विषयवस्तु दिनांकित पावती के साथ विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों के ध्यान में लाई जाय। साथ ही यह भी निर्देशित है, कि विद्यालय स्तर पर आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया जाय और इसकी सूचना विद्यालय वेबसाइट एवं सूचना पट्ट पर जारी किया जाय इस आदेश का लिंक इस कार्यालय के गूगल शीट के मध्यम से दिया जाय जो की शेयर किया जायेगा।
8. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर- प्रपत्र की विषयवस्तु दिनांकित पावती के साथ क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों के ध्यान में लाई जाय।